न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 09/2024

अनवान :–

1. सोहनलाल पुत्र सावत्री जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम्

1. अंगूरी देवी पुत्री मनफुल जाति सैनी निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर हनुमानगढ
2. अनिता पुत्री मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. इन्द्रो पुत्री मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
4. कलावती पत्नी मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
5. कृष्णलाल पुत्र मनफूल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
6. नितेश कुमार पुत्र मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
7. पवन कुमार पुत्र मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
8. माया पत्नी रणजीत जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
9. विजय कुमार पुत्र रणजीत जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
10. संतोष पुत्री मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
11. सुशीला पुत्री मनफुल जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
12. सीताराम पुत्र रणजीत जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
13. अर्जुनराम पुत्र महावीर प्रसाद जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
14. ओमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
15. प्यारेलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति सेनी निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
16. मोहित पुत्र अमरसिह जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
17. राजवाला पत्नी अमरसिह जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
18. सत्यप्रकाश सैनी पुत्र अमरसिह जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर
19. ओमप्रकाश पुत्र बालुराम जाति सैनी निवासी साहवा तहसील तारानगर
20. तुलछी पत्नी लालचन्द जाति सैनी निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
21. माफिया पफनी उमेदखां जाति लखारा मुसलमान निवासी रामसरा तहसील नोहर।
22. योगेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति सेनी निवासी भादरा तहसील भादरा
23. रूकमणी पुत्री सावत्री जाति सैनी निवासी भादरा तहसील भादरा
24. रामूराम पुत्र जैसाराम जाति सैनी निवासी फेफाना तहसील नोहर
25. सन्तोष पुत्री सावत्री जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
26. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, सायलान
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायलान
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गेरसायलान

निर्णय दिनांक : 20/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 53/52 की कुल 10.4360हैक भूमि सायल व गैरसायलान संख्या 13 ता 26 की मुश्तरका खाता की खातेदारी भूमि दर्ज है।

रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 की कुल 2.2770हैक भूमि गैरसायल संख्या 13 ता 18 की मुश्तरका [illegible] भूमि है इसीप्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 की कुल [illegible] भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 12 की मुश्तरका खाता की खातेदारी [illegible] दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

सायल व गेरसायलान के खेत एक [illegible]र के चिपते हुए है [illegible] नोहर– भादरा मुख्य सडक से होते हुए गैरसायलान के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 334/423(48) के किला न0 25/2 के मिन मध्य की 0.013है व किला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 16/2 की मिन मध्य 0.013है में से होकर गैरसायल संख्या 13 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/2 के मिन दक्षिण पूर्व की 0.0070हैक्ट में पश्चिम से पूर्व चलकर अपने खेत के प0न0 335/423(49) के किला न0 11 में प्रवेश करके अपने खेत मं ढाणियो में पहुचते है यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है।

सायल को उक्त रास्ता के अलावा सायल के अपने खेत व ढाणी में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सालय पिछले 40 सालों से खेत में ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास करता है और उक्त रास्ता का सदामत से उपयोग करता आ रहा है व उक्त रास्ता का उपभोग करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतद नही होने के कारण किसी भी समय आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसलिये सायल उक्त रास्ता के स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 334/423(48) के किला न0 25/2 केमिन मध्य 0.013हैक भूमि व किला न0 16/2 मिन मध्य की 0.013हैक्ट भूमि व गेरसायला 13 ता 18 के खेत रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/2 के मिन दक्षिण पूर्व की 0.0070हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत करने के आदे ा फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये अधिवक्ता तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,9 की और से महेश चन्द्र शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 14, 15 की और मदन मोहन शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये शेष गैरसायलान को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गेरसायल संख्या 4 ता 7 ,9 के अधिवक्ता ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की उतरदाता की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 334/423(48) के किला न0 16 से 25 की भूमि है उतरदाता के किला न0 25/2 में 0.2280हैक्ट भूमि मुमकिन व 0.025हैक्ट भूमि गै0मु0खाला के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खाला निर्माण शुद्वा हे जो किला न0 25 के पूर्वी सीमा पर पत्थर लाईन पर किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में से होकर निकलता है किला न0 25 में उतरदाता की रिहायशी ढाणी बनी हुई है जिसमे सपरिवार सयुक्त परिवार निवास करता है।

सायल सोहनलाल बहुत झगडालु किस्म का व्यक्ति है जिसका अपने खेत में कोई भी ढाणी नही बनी हुई है अन्य सयुक्त खातेदारी भूमि पर जबरिया कब्जा कर रखा है और इस कब्जा पर दो पक्षों मे झगडा होने पर सायल सोहनलाल के पिता शेरसिह का कत्ल भी हो चुका है सायल सोहनलाल ने उतरादाता को परेशान करने की नियत से किला न0 25 में ढाणी के आगे से जबरिया रास्ता की मांग कर रहा है मु0न0 48 के किला न0 16 ,25 तथा अगुरीदेवी आदि के मु0न0 48 के कला न0 15 अर्थात 3 किला में परेशान करने की नियम से रास्ता की मांग की गई है जो विधि विरूद्व है सोहनलाल का हरियाणा में आना जाना रहता है उतदाराता की ढाणी के आगे से रास्ता नही दिया जा सकता है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 53 में कुल 10.4360हैक्ट भूम है जिसमे सोहनलाल का 911/26090हिस्सा भूमि दर्ज है सोहनलाल को खाता विभाजन करवाकर मुरब्बा नम्बर में रास्ता की मांग करनी चाहिये जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार काश्तकार को रास्ता देते हुए खाता व लगान अलग अलग होगा अपने सहखातेदारों से भी रास्ते की मांग कर सकता है मु0न0 48 के किला न0 7 ता 10 के दक्षिणी पासा चालू रास्ता जो स[illegible]तेदारों ने छोड रखा है वही से सदैव आवागमन करता है क्योकि किला न0 15 पर [illegible] की नाजायज कब्जा करके काश्त करता है इसलिये चालू व [illegible]डक से किला न0 21 ,20, 11 से आगे किला न0 7 ता 10 चालू है जो सोहनलाल [illegible] सयुक्त खाता की भूमि है में चालू है किन्तु हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर परेशान किया जा रहा है उक्त रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक नही है सुविधाजनक रास्ता मु0न0 48 के किला न0 21 व 20 में

..2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से दो किलों में से है तो उतरादाता से तीन किलों के मध्य से रास्ता की मांग विधि विरूद्व है किला न0 21 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरूदेव सिह व किला न0 20 उतरादातागण का है यही से सोहनलाल की सयुक्त खाता की भूमि सडके से केवल 2 किला की दुरी पर है तथा पत्थर लाईन पर है यदि उतरदाता के खाते में से किला न0 25 के मध्य में से दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होती है भूमि काश्त योग्य नही रहेगी व तीन किलो में रास्ता देना होगा मु0न0 49 के किला न0 21 के खातेदार जसविन्द कोर को फरीक बनाया जाकर हल्का के अलावा अन्य किसी गिरदवर पटवारी से सही रिपोर्ट मंगवाई जावे।

उतरदाता के किला न0 25 के पूर्व में ही खाला पक्का बना हुआ है व किला न0 6 जहा से पश्चिम तरफ सोहनलाल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह पक्के खाले पर पूल बनाकर जाना पडेगा जो मौका पर पुल नही है ना ही खाला तोडकर रास्ता नही बनाया जा सकता है ना ही उतरादता की भूमि में कोई आवागमन रहा है जब तक खाता विभाजन उपरान्त सोहनलाल को कोनसी भूमि प्राप्त होगी तब तक रास्ता की मांग नही कर सकता है जसविन्द्र कोर को फरीके बनाया जाकर सीधा रास्ता जावे और उसके बदले में दोगुण भूमि दिलवाई जावे।

गेरसायल संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 335/423(49) के किला न0 20 जो गेरसायल संख्या 1 ता 12 की भूमि है में से पश्चिम तरफ से दक्षिण से उतर की तरफ तथा जसविन्द्र कोर पुत्र गुरूदेवसिह के रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 16/17 के प0न0 335/423(49) के किला न0 21 में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर सायल अपने किला न0 11 में प्रवेश करता है इसलिये सदामत से किला न0 20 ,21 में ही सायल का आवागमन रहा है उन्ही किला न0 1 सायल रास्ता स्वीकृत करा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/1 में से पूर्व से गै0मु0 खाला दर्ज है तथा किला न0 5/1 ,6/1 , व 15/1 ,3/3 ,4/1 मे पूर्व से ही खाला दर्ज है खाता की भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है सायल ने सिचाई विभाग को भी पक्षकार नही बनाया गया है सायल की भूमि दुसरे प0न0 435/423(49) में आती है गैरसायल प0न0 334/423(48) में आती है इसलिये मु0न0 49 के काश्तकार 48 के काश्तकार को भूमि के बदले भूमि दिया जाना सम्भव नही है बीच में से सरकारी पक्का खाला निर्माण है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया जाकर मौका रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व गेरसायलान के खेत एक दुसरे के चिपते हुए है सायल नोहर– भादरा मुख्य सडक से होते हुए गैरसायलान के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 334/423(48) के किला न0 25/2 के मिन मध्य की 0.013है व किला न0 16/2 की मिन मध्य 0.013है में से होकर गैरसायल संख्या 13 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/2 के मिन दक्षिण पूर्व की 0.0070हैक में पश्चिम से पूर्व चलकर अपने खेत के प0न0 335/423(49) के किला न0 11 में प्रवेश करके अपने खेत मं ढाणियो में पहुचते है यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है।

सायल को उक्त रास्ता के अलावा सायल के अपने खेत व ढाणी में जाने के लिये कोई रास्ता नही है सालय पिछले 40 साल [illegible] में ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास करता है और उक्त रास्ता को सदामत से [illegible] करता आ रहा है व उक्त रास्ता का उपभोग करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतद नही होने के कारण किसी भी समय आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसलिये सायल उक्त रास्ता के स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 4 ता 7 ,9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मोडयुक्त व तीन किलो में चाहा गया है जबकि सायल को दो किलो में सीधा पत्थर लाईन पर उपलब्ध हो सकता है जहॉ से सायल वर्तमान में आवागमन कर सकता है सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वहा पर पहले से ही पक्का खाला बना हुआ है खाला की भूमि में रास्ता नही दिया जा सकता है तथा सायल ने गैरसायलान की पक्की ढाणी जिसमें गैरसायल अपने परिवार सहित रहता है के आगे से रास्ता चाहा जा रहा है जो विधि सम्मत नही है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मोडनुमा व किलों को तोड कर चाहा जा रहा है जिससे सायल की भूमि दो टुकडो में होगी जिससे काश्त में परेशानी होगी एव खाला पर पुलिया का निर्माण भी करवाना होगा सायल ने सिचाई विभाग को भी पक्षकार नही बनाया गया है

सायल के द्वारा जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वह केवल गेरसायल से दुश्मनी/रंजिश के चलते चाहा गया है जबकी सायल को सुविधा जनक रास्ता सीधा किला न0 20 ,21 में से है शेष तथ्य जबाब अनुसार व्यक्त किये गये जाकर निवेदन किया की सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 335/423(49) के किला न0 20 जो गेरसायल संख्या 1 ता 12 की भूमि है में से पश्चिम तरफ से दक्षिण से उतर की तरफ तथा जसविन्द्र कोर पुत्र गुरूदेवसिह के रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 16/17 के प0न0 335/423(49) के किला न0 21 में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर सायल अपने किला न0 11 में प्रवेश करता है इसलिये सदामत से किला न0 20 ,21 में ही सायल का आवागमन रहा है उन्ही किला न0 1 सायल रास्ता स्वीकृत करा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/1 में से पूर्व से गै0मु0 खाला दर्ज है तथा किला न0 5/1 ,6/1 , व 15/1 ,3/3 ,4/1 मे पूर्व से ही खाला दर्ज है खाता की भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है सायल ने सिचाई विभाग को भी पक्षकार नही बनाया गया है सायल की भूमि दुसरे प0न0 435/423(49) में आती है गैरसायल प0न0 334/423(48) में आती है इसलिये मु0न0 49 के काश्तकार 48 के काश्तकार को भूमि के बदले भूमि दिया जाना सम्भव नही है बीच में से सरकारी पक्का खाला निर्माण है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं दस्तावेजात पर मनन किया विवेचन निम्नप्रकार से पाया जाता है :–

सायल ने प्रार्थना पत्र 251क पेश कर रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 53/52 की कुल 10.4360हैक भूमि सायल व गैरसायलान संख्या 13 ता 26 की मुश्तरका खाता की खातेदारी भूमि दर्ज है।

रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 की कुल 2.2770हैक भूमि गैरसायल संख्या 13 ता 18 की मुश्तरका खाता की भूमि है इसीप्रकार रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 की कुल 3.0360हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 12 की मुश्तरका खाता की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 334/423(48) के किला न0 25/2 के मिन मध्य की 0.013है व किला न0 16/2 की मिन मध्य 0.013है में से होकर गैरसायल संख्या 13 ता 18 के [illegible] रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 के प0न0 334/423(48) के [illegible] 15/2 के मिन दक्षिण पूर्व की 0. 0070हैक में पश्चिम से पूर्व [illegible] प0न0 335/423(49) के किला न0 11 में प्रवेश करके अपने खेत मं ढाणियो में पहुचते [illegible] यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है जिसे स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

गैरसायल संख्या 4 ता 7 ,9 का विरोध है कि सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह घुमावदार एव तीन किलों में चाहा गया है जबकि सायल को दो किला में सीधा रास्ता उपलब्ध है तथा चाहा गया रास्ता से गैरसायल की भूमि दो टुकडों में विभक्त हो जावेगी जिससे काश्त में परेशानी होगी एव जहॉ से रास्ता चाहा गया है वहा पर पहले से खाला पक्का बना हुआ है एवं गैरसायल की ढाणी बनी हुई उसके आगे से रास्ता चाहा गया है जो कभी चालू नही रहा है ना ही वर्तमान में है केवल गैरसायल की ढाणी के आगे से रास्ता चाहा जा रहा है जो पुरानी रंजिश के कारण चाहा गया है खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ,2 का विरोध है कि की रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 335/423(49) के किला न0 20 जो गेरसायल संख्या 1 ता 12 की भूमि है में से पश्चिम तरफ से दक्षिण से उतर की तरफ तथा जसविन्द्र कोर पुत्र गुरूदेवसिह के रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 16/17 के प0न0 335/423(49) के किला न0 21 में पश्चिम दिशा में दक्षिण से उतर सायल अपने किला न0 11 में प्रवेश करता है इसलिये सदामत से किला न0 20 ,21 में ही सायल का आवागमन रहा है उन्ही किला न0 में सायल रास्ता स्वीकृत करा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा चक 24 एनटीआर के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/1 में से पूर्व से गै0मु0 खाला दर्ज है तथा किला न0 5/1 ,6/1 , व 15/1 ,3/3 ,4/1 मे पूर्व से ही खाला दर्ज है खाता की भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है सायल ने सिचाई विभाग को भी पक्षकार नही बनाया गया है सायल की भूमि दुसरे प0न0 435/423(49) में आती है गैरसायल प0न0 334/423(48) में आती है इसलिये मु0न0 49 के काश्तकार 48 के काश्तकार को भूमि के बदले भूमि दिया जाना सम्भव नही होगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

सायल के कथनो एवं गैरसायल का विरोध सुना जाने पर मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 53 में सयुक्त खातेदारी भूमि में सायल का 911/26090हिस्सा है वर्तमान में प्रार्थी प0न0 334/423(48) किला न0 15 ,16 ,25 में से अपने खेत (कब्जा काश्त अनुसार) में आवागमन कर रहा है सायल के खेत से निकटतम दुरी से स्वीकृतशुद्वा रास्ता प0न0 335/424(50) किला न0 1 से 5 पर स्थित है प0न0 335/423(49) किला न0 20, 21 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ है जिसे स्वीकृत किया जाना उचित है ।

सायल ने रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 50/50 के प0न0 334/423(48) के किला न0 25/2 के मिन मध्य की 0.013है व किला न0 16/2 की मिन मध्य 0.013है में से होकर गैरसायल संख्या 13 ता 18 के खेत रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 68/65 के प0न0 334/423(48) के किला न0 15/2 के मिन दक्षिण पूर्व की 0.0070हैक् में पश्चिम से पूर्व रास्ता चाहा गया है

सायल के द्वारा चाहा गया उक्त रास्ता विधि सम्मत नही है क्योकि सायल ने किला के टुकडे पर रास्ता चाहा जा रहा है जहॉ पर गैरसायलान के टयुबबेल लगे है एवं तथा सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वहा पर पहले से ही खाला पक्का निर्माण हो रखा है खाला को निरस्त नही किया जा सकता है ना ही खाला की भूमि पर रास्ता बनाया जा सकता है।ना ही सायल ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके की सायल ने कभी चाहा गया रास्ता से आवागमन किया गया है मात्र फोटो पेश की गई है सायल के द्वारा प्रस्तुत फोटो पर गैरसायल की ढाणी तक पहुचने के रास्ते को प्रर्दश कर रही है सायल की भूमि पर जाने के रास्ता को प्रर्दश नही करती है तथा फोटा कोई पुख्ता साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नही की जा सकती [illegible] कि फोटो किसी ऐगल से ली गई है यह मायने रखता है सायल अपने प्रार्थना पत्र की [illegible] के लिये ऐसे ऐगल से फोटो ले जिससे रास्ता दिखाई दे सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

सायल का दायित्व था कि उसके कब्जा काश्त की भूमि तक स्वीकृत रास्ता से सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता की मांग करनी चाहिये थी जो प्रस्तुत साक्ष्य मौका रिपोर्ट अनुसार नही की गई है सायल के प्रार्थना पत्र से ऐसा प्रतित होता है कि सायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है केवल गैरसायल से रंजिश को लेकर पेश करना पाया जाता है।

सायल को अपने कब्जा काश्त की भूमि तक आवागमन करने हेतु स्वीकृत रास्ता से केवल दो किला की दुरी पर सीधा रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो वर्तमान में चालू है जिससे वर्तमान में सायल आवागमन कर रहा है के पक्षकारों से रास्ता की मांग करनी चाहिये थी जबकि सायल ने गेरसायल की भूमि जहॉ पर पहले से ढाणी एव खाला निर्माण एवं तीन किलों में वह भी घुमावदार/मोडयुक्त चाहा गया है जो विधि सम्मत नही है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि (कब्जा काश्त के अनुसार) रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 53 में सयुक्त खातेदारी भूमि में सायल का 911/26090हिस्सा है वर्तमान में प्रार्थी प0न0 334/423(48) किला न0 15 ,16 ,25 में से अपने खेत (कब्जा काश्त अनुसार) में आवागमन कर रहा है सायल के खेत से निकटतम दुरी से स्वीकृतशुद्वा रास्ता प0न0 335/424(50) किला न0 1 से 5 पर स्थित है प0न0 335/423(49) किला न0 20, 21 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ सबसे छोटा सीधा एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध होने के उपरान्त भी अन्य रास्ता की मांग करना विधि सम्मन नही है। चक 24 एनटीआर के काश्तकारों के द्वारा भी शपथ पत्र /प्रार्थना पत्र किला न0 20 ,21 में रास्ता उपलब्ध है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधि विरूद्व है स्वीकृत योग्य नही है केवल पेरशान करने की नियम से पेश किया गया है किला न0 20 ,21 मे स्वीकार फरमावे।

सायल गैरसायल के हकों को हनन /नुकसान कर रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है यह सही है कि किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक पहुचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु यह भी देखा जाना आवश्यक है कि सायल जहॉ से रास्ता चाह रहा है उससे अन्य काश्तकार के हित तो प्रभावित नही होते सायल के द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है से गैरसायल के हित प्रभावित होते है एव जब दो किलो में सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो तीन किलो में घुमावदार रास्ता की मागं करना विधि सम्मत नही है।

सायल प्रस्तुत दस्तावेजात /मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मोजा चक 24 एनटीआर के प0न0 335/424(50) किला न0 1 से 5 पर स्थित है प0न0 335/423(49) किला न0 20, 21 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर जो सबसे छोटा एवं वर्तमान में आवागमन कर रहा है को स्वीकृत करवाने का अधिकारी हो सकता है सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने की कार्यवाही पृथक से करने के लिये स्वतन्त्र है किन्तु वर्तमान में चाहा गया रास्ता विधिसम्मत नही होने के कारण स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है।

उक्त विवेचन अनुसार यह साबित हो चुका है कि सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह तीन किलों में घुमावदार एव खाला की भूमि में से चाहा जा रहा है एव गैरसायल के रिहायशी ढाणी के आगे से चाहा जा रहा है जो कभी भी चालू नही रहा है जबकि सायल को दो किलों में छोटा एवं सीधा रास्ता उपलब्ध है जो वर्तमान में चालू भी है नही चाहा गया है सायल का प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से न्यायायलय में पेश नही करने एव छोटा व चालू रास्ता उपलब्ध होते हुए भी लम्बा में खाला/ढाणी के आगे से रास्ता की मांग करना विधि सम्मत नही है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है सायल छोटा रास्ता की मांग कर सकता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /साक्ष्यों एवं मोका रिपोर्ट अनुसार स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली [illegible] कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.22 10:25:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)